भारत सरकार
संचार मंत्रालय
डाक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या †597
उत्तर देने की तारीख 03 दिसंबर, 2025

ध्रुव परियोजना

†597. श्री सनातन पांडेय :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को ध्रुव परियोजना में भाग लेने का अवसर दिया गया है और यदि हां, तो चयन प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है और उक्त स्टार्टअप के चयन के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या निजी स्टार्टअप के शामिल होने से देश में नवाचार को बढ़ावा मिलने और स्थानीय प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा मिलने की संभावना है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या ध्रुव प्लेटफॉर्म को पंचायत स्तर तक बढ़ाने का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो इस संबंध में नॉमिनेटेड एजेंसियों के नाम क्या हैं और ग्रामीण डिजिटल समावेशन पर इसका अनुमानित असर क्या होगा?

उत्तर

संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) ध्रुव फ्रेमवर्क के तहत राष्ट्रीय डिजिटल पता, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्टर (डीपीआई) को भारत में डिजिटल एड्रेसिंग के लिए एक ओपन, अंतरप्रचालनीय और नवाचार-अनुकूल प्रणाली बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रौद्योगिकी स्टार्टअप सहित कोई भी निकाय इस इकोसिस्टम का हिस्सा बन सकता है।

(ख) जी, हां। निजी स्टार्टअप के शामिल होने से देश में नवाचार और स्थानीय प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा मिलेगा। स्टार्टअप, "एड्रेस ऐज अ सर्विस (AaaS)" मॉडल का उपयोग करके ध्रुव डिजिटल पता डीपीआई के आधार पर, समाधान प्रदान कर सकते हैं।

(ग) 'ध्रुव' को राष्ट्रव्यापी डिजिटल एड्रेस डीपीआई के रूप में तैयार किया गया है, जिसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अंतर किए बिना दोनों को शामिल किया गया है। अतः पंचायत स्तर की किसी भी विशेष एजंसी को नामांकित नहीं किया गया है। डिजिटल पता प्रणाली डीपीआई आर्किटेक्चर से सटीक पता प्रणाली को सक्षम करके ग्रामीण डिजिटल समावेशन में वृद्धि होने की संभावना है जिससे सेवा डिलिवरी में सुधार होगा और एक बार इसके प्रचालनरत होने के बाद ग्रामीण शासन प्रणाली में सहायता मिलेगी।

*****